

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, कोडरमा।

परमिशन वाद सं०-.....०४...../२०१७-१८

प्रसंग...मसौदा धौलवा वि० ५३५५ बनाम श्री. श्री. मीना देवी.....

११-४-१७

आवेदक श्री. मसौदा धौलवा..... पिता/पति स्व. मुंशी हाफुट (वि० ५३५५)
 ग्राम.....कोटिया..... पो०.....पश्चात्वा..... थाना.....जयनगर.....
 जिला-कोडरमा ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा.....
४६(१)(६).....के तहत मौजा.....कोटिया.....वार्ड नं०.....
 थाना नं०.....१७३.....थाना.....जयनगर..... जिला-कोडरमा के खाता
 नं०.....९२.....प्लॉट नं० २०१७, २०२५, २०२६ रकबा ०४, ०६, ०५, ०२ वर्ग मीटर
 भूमि श्री. श्री. मीना देवी..... पिता/पति श्री. श्री. मीना देवी.....
 ग्राम.....कोटिया..... पो०.....पश्चात्वा..... थाना.....जयनगर.....
 जिला-कोडरमा के नाम से बिक्री करने हेतु आवेदन दाखिल
 किया गया है।

आवेदक से प्राप्त आवेदन पत्र की प्रति जाँच
 प्रतिवेदन के निमित्त अंचल अधिकारी,.....जयनगर.....को भेजे।
 साथ ही साथ आम ईशतेहार निर्गत करें। जाँच प्रतिवेदन एवं
 तामिला प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत अभिलेख उपस्थापित करें।

११/४/१७
 भूमि सुधार उपसमाहर्ता
 कोडरमा।

अभिलेख उपस्थापित।
उक्त वाद को अग्रे करवाई हेतु
सक्षम पक्षविषयी के कार्रवाई में हस्तांतरित
किया जाता है।

२८/११/२५

२८/११/२५
१८/०८